

अतिआवश्यक

राजस्थान सरकार

आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक एफ 1(14)पीएस/निकाशि/05/576


दिनांक 01-12-2020

1. समस्त प्राचार्य,
राजकीय महाविद्यालय,
राजस्थान।
2. सहायक निदेशक,
क्षेत्रीय कार्यालय, कॉलेज शिक्षा
विभाग, जोधपुर/उदयपुर/कोटा/अजमेर/बीकानेर।
3. संयुक्त निदेशक(एच.आर.डी.),
कॉलेज शिक्षा, राजस्थान,
जयपुर।


विषय:—आरक्षण प्रावधानों की क्रियान्विति के क्रम में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत विभागीय पूर्व समसंख्यक पत्र क्रमांक 471 दिनांक 29-11-2012 के क्रम में लेख है कि वेतनमान सं० एल-1 से एल-5 (पूर्व वेतनमान संख्या 01 से 06) तक (कनिष्ठ लिपिक एवं प्रयोगशाला सहायक पद के अतिरिक्त) के पदों हेतु नियुक्ति अधिकारी प्राचार्य होने के कारण इन पदों से संबंधित सीधी भर्ती एवं पदोन्नति के रोस्टर रजिस्टर महाविद्यालय/कार्यालय स्तर पर ही संधारित होते हैं। इन पंजिकाओं को अद्यतन पूर्ण रखा जावे तथा यदि वर्तमान में महाविद्यालय/कार्यालय में ये संधारित नहीं किये जा रहें हो तो शीघ्रातिशीघ्र नियमानुसार रोस्टर रजिस्टर संधारित एवं पूर्ण कराये जावें।


(डॉ. के० एल० सिराधना)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन),
कालेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर।

प्रतिलिपि विभागीय वेब साईट प्रभारी, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, राज०,
जयपुर को विभागीय वेब साईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित है।


(डॉ. के० एल० सिराधना)
संयुक्त निदेशक(प्रशासन),
कालेज शिक्षा राजस्थान,
जयपुर।